UPJB010036562026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जिला अमरोहा ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–953/2026

पप्पू सिंह उर्फ फौजी पुत्र राजेन्द्र सिंह , निवासी भैया नंगला, थाना पटवई, जनपद रामपुर हाल निवासी मौहल्ला अन्देवपुरी, थाना कटघर, मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या-160/2026
धारा-309(4), 3(5), 126(2), 317(2),
बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम।
थाना-अमरोहा देहात , जिला अमरोहा।

आदेश

दिनांकः 08.06.2026–

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ फौजी की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा दिनांक 09.05.2026 को समय 01.00 बजे दिन अपने लड़के कुनाल को एडमिशन वी.एम. वी. एम पब्लिक स्कूल कल्याणपुर रोड़ अमरोहा से लेने गयी थी। जब वादिनी मुकदमा जोया रोड़ पर वापस अपने पुत्र कुनाल के साथ आई तो दो अज्ञात व्यक्तियों ने गैस एंजेसी के पास मुझे रोक लिया और मुझसे कितनी देर बात करने के बाद मुझे झांसे में लेकर बातचीत की थी , तो मैंने उनकी बातों में अपने कान के कुण्डल दे दिये थे। उन दोनों व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की थी और मुरे कुण्डल व एक हजार रूपये लेकर चले गये थे। वादिनी मुकदमा पक्ष ने उन व्यक्तियों को काफी तलाश किया नहीं मिले। यह सब घटना वादिनी मुकदमा ने अपने पति श्री प्रेमचन्द सिंह को बताई थी। दोनों अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल पर बैठकर फरार हो गये। सामने आने पर उन्हें पहचान सकती हूं।

03. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है, उसने कोई घटना कारित नहीं की है। वह दिनांक 17.05.2026 से जेल बिजनौर में निरूद्ध है। वह निर्दोष हैं तथा अपनी जमानत देने को तैयार है, इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

04. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

05. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः-

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.08 15:18:05 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

I. **प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को स्कूल से लाने के दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बातचीत करके झांसे में लेने के कारण वादिया ने स्वयं ही अपने कान के कुण्डल और एक हजार रूपया अज्ञात व्यक्तियों को दे दिये, इसे स्पष्ट करते हुए बयान में वादिया ने यह कहा है कि उन अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ देर बात करने के उपरान्त ज्योतिषि के आधार पर बच्चे का समय सही न होना बताया था, उपचार में एक हजार रूपये लिये थे , उसके बाद बातों में लगाकर और धमकी देकर कान के कुण्डल भी ले लिये थे।**

II. **अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

III. **इस मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है।**

IV. **मामला मजिस्ट्रेट विचारणीय अपराध है।**

V. **अभियुक्त दिनांक 17.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।**

06. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः निम्न शर्तों के अधीन अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ फौजी को जमानत प्रदान की जा रही है–

1. अभियुक्त प्रत्येक सम्बन्धित विचारण/सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से न्यायालय को अवगत कराते हुए **संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का बन्धपत्र और या निर्धारित प्रतिभूति/प्रतिभूतियां निष्पादित करके जमानत का लाभ प्राप्त करेगा।**

2. दौरान विवेचना/ विचारण में सहयोग करेगा व हस्तक्षेप नहीं करेगा।

3. न्यायालय द्वारा विचारण की स्वतन्त्रता के लिए जो भी विधिसम्मत शर्ते अपने आदेश में तय की जायेंगी , उनका पालन करेगा।

4. विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा आहूत करने पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सहयोग करेगा।

5. विचारण के दौरान कार्यवाही को बाधित नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

6. शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

7. अभियुक्त यदि बंधपत्र में दिये गये अपने पते में परिवर्तन करते हैं , तो इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को या आरोप पत्र आ जाने पर न्यायालाय को देनी होगी। इस शर्त का पूरा कराने का दायित्व भी प्रतिभूगण का होगा।

8. यदि जमानती दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना अभियुक्त को तत्काल न्यायालय को देनी होगी और अपना समर्पण न्यायालय के समक्ष करते हुए नये प्रतिभू उपलब्ध कराने होंगे, ऐसा न होने पर यह आधार जमानत निरस्तीकरण के लिये पर्याप्त होगा।

उपरोक्त शर्तो का प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–08.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।